न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 114 / 2023

1. सोहनलाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रातूसर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 136 एल. आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.07.23

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला उपलतहसील दन्तौर के चक 43 केजेडी मु0नं0 65 / 2 में 5. 4879 हैक्टर भूमि है। आवंटन पत्रावली व आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम बुधाराम दर्ज है जो कि प्रार्थी के पिता का सही नाम है। गिरदावरी सम्वत् 2044–2047 में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम बुधाराम दर्ज है जबकि सम्वत् 2048–2051 में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से रूघाराम दर्ज कर दिया व सम्वत् 2052–2055 में फिर सहवन से रूघाराम कर दिया गया जो कि गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम रूघाराम की जगह बुधाराम दुरस्त करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 88 आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी व गिरदावरियां प्रस्तुत की। जिसमें सम्वत् 2044–2047 की गिरदावरी में प्रार्थी के पिता का नाम बुधाराम अंकित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी के पिता नाम रूघाराम की जगह बुधाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 43 केजेडी मु0नं0 65 / 2 में 5.4879 हैक्टर अ0क0 रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूघाराम की जगह बुधाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)